प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 26.10.2024

दिनांक 25.10.2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया जिसमें दो व्यक्ति एक चलती कार में अनधिकृत रूप से स्टंट कर रहै है।

उक्त सूचना पर तत्काल थाना कविनगर पुलिस द्वारा सम्बन्धित वाहन रजि0 न0 DL6CM5950 हुन्डई आई -10 को पकडा गया आरोपी ड्राईवर गौरव शर्मा पुत्र मामचन्द शर्मा निवासी ई-51 गली न0-12 बालाजी एन्क्लेव गोविन्दपुरम थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य आरोपीगण की तलाश की जा रही है। कार रजि0 न0 DL6CM5950 को अन्तर्गत धारा 213(5) ई एमबी एक्ट में व लापरवाही से चलाने में सीज किया गया। पूछताछ तथा साक्ष्यो के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

सीज कार का विवरण कार- कार रजि0 न0 DL6CM5950 को लापरवाही चलाना अन्तर्गत धारा 213(5) ई एमबी एक्ट में सीज किया गया

अभियुक्त का नाम पता -

गौरव शर्मा पुत्र मामचन्द शर्मा निवासी ई-51 गली न0-12 बालाजी एन्क्लेव गोविन्दपुरम थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

पुलिस टीम थाना कविनगर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 15.09.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादिया/पीड़िता द्वारा एक तहरीर दी गयी कि अभियुक्त मौ0 अशरफ आलम द्वारा पीड़िता को अपनी बातों मे फंसाकर व शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाना व अपने अन्य साथी मौ0 नसीम आलम को बुलाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 25.10.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मौ0 नसीम आलम पुत्र मौ0 लतीफ मियां निवासी खरौना नरसिंहपुर थाना सकरा मुजफ्फरपुर बिहार को बागू अण्डर पास के पास से थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया कि मेरे ही गांव का रहने वाला मेरा एक मित्र जिसका नाम मौ0 अशरफ आलम है, उसके द्वारा पीड़िता को अपने जाल मे फंसाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। इस बात की जानकारी उसने मुझे भी दी तथा उसने यह भी कहा कि अगर तू भी चाहे तो मेरे साथ चलकर पीड़िता के साथ गलत काम कर सकता है। मेरे भी मन मे भी लालच आ गया तथा एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ गाजियाबाद आया तथा हम दोनों ने मिलकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

मौ0 नसीम आलम पुत्र मौ0 लतीफ मियां निवासी खरौना नरसिंहपुर थाना सकरा मुजफ्फरपुर बिहार, उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद के UP 112 के वाहनों में 04 नये वाहनों (चार पहिया, स्कॉर्पियो) की वृद्धि

कमिश्नरेट गाज़ियाबाद में UP-112 परियोजना के अंतर्गत आम नागरिकों की सुरक्षा और त्वरित पुलिस सहायता हेतु वर्तमान में UP-112 के 116 दो पहिया/चार पहिया पीआरवी वाहन संचालित हैं, जिनसे कॉलर को समय से सहायता पहुँचायी जा रही है, कमिश्नरेट गाज़ियाबाद पुलिस के पीआरवी वाहनों में वृद्धि करते हुए 04 नये वाहन (चार पहिया स्कॉर्पियो) मुख्यालय UP-112 लखनऊ से प्राप्त कराये गये, जिनको आज अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल द्वारा पुलिस लाईन से हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान कराया गया । जिससे अब पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद में UP-112 के वाहनों की संख्या 116 से बढ़कर 120 हो गयी है।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित बाल अपचारी अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 24.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि उसके पड़ौस में रहने वाले बाल अपचारी द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर उसके साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 26.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम उपरोक्त घटना कारित करने वाले बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

बाल अपचारी ने पूछने पर बताया कि मैं पहले भी वर्ष 2023 में दुष्कर्म के अभियोग में बाल सुधार गृह में जा चुका हूँ। मैं दिनांक 24.10.2024 को अपने पड़ौस में रहने वाली पीड़िता को बहाने से कमरे में ले गया था और उसके साथ गलत काम किया था।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –

बाल अपचारी के विरूद्ध थाना लोनी पर दुष्कर्म का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा पानी की समरसिबल चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की समरसिबल बरामद।

दिनांक 24.10.2024 को थाना लोनी पर वादी रईस पुत्र अब्दुल रहमान निवासी इकरामनगर दफ्तर वाली गली हाल चौकीदार विकास खण्ड लोनी गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा विकास खण्ड परिसर से पानी की समरसिबल चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा में अभियोग

तत्पश्चात आज दिनांक 26.10.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त समीर पुत्र जाकिर निवासी पूजा कालोनी मंगल बिहार गली न0 09 ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की समरसिबल बरामद हुयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने यह समरसिबल ब्लॉक परिसर से चोरी कर ली थी जिसे मैंने ब्लॉक परिसर के आसपास ही छुपा दिया था। आज मैं मौका पाकर समरसिबल को किसी कबाड़े की दुकान पर बेचने जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता -

समीर पुत्र जाकिर निवासी पूजा कालोनी मंगल बिहार गली न0 09 ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त घटना के संबंध में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण -

चोरी की समरसिबल बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम -

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान एनसीआर क्षेत्र मे स्नैचिंग/लूट/चोरी करने वाले गिरोह के 06 अभियुक्त अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार, कब्जे से चोरी/लूट के 41 मोबाइल फोन, चोरी की 04 मोटर साइकिल व 03 स्कूटी , 02 तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस , 02 खोखा कारतूस व 13000/- रुपये बरामद।

दिनांक 25.10.2024 को आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत व वांछित चल रहे अभियुक्तगण की तलाश में की जा रही प्रभावी चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र नया बस अड्डा शहीद स्थल मैट्रे स्टेशन के पास हापुड़ मोड़ की तरफ से आ रहे स्कूटी/मोटर साइकिल पर सवार 04 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखायी दिये पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस को देखकर बाइक को भगा दिया गया जिनके घेराबंदी कर विजय नगर कट पर पुलिस द्वारा चारो व्यक्तियो को पकड़ लिया गया जिनके द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि उनका एक साथी सांई उपवन की झाड़ियो में चुराये गये वाहन व लूटे/चोरी किये गये मोबाइल के साथ छुपा हुआ है। हम लोग उन्हीं मोबाइल व वाहनों को बेचने के लिये दिल्ली जा रहे थे। प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा पकडे गये अभियुक्तगण की निशादेही पर सांई उपवन की झाड़ियो के पास पहुँची तो झाड़ी मे छुपे व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी को आता देख पुलिस की तरफ निशाना कर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर के दौरान झाड़ियो मे छुपा व्यक्ति को गोली लगने से घायल हो गया जिसे मुठभेड़ पश्चात हिरासत पुलिस मे लिया गया। मौके से बरामद मोबाइल व वाहन व अवैध तमंचा/कारतूस को कब्जा पुलिस लिया गया। तथा चारो अभियुक्तों को नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया घायल अभियुक्त को जिला चिकित्सालय मे भर्ती कराया गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही का विवरणः-

दिनांक 24.10.2024 को शहीद स्थल मैट्रो स्टेशन व दिल्ली गेट पर मोबाइल लूट करने वाले अभियुक्त मुकीम को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर दिनांक 25.10.24 को जेल भेजा गया है अभियुक्त मुकीम का साथी आसिफ वांछित चल रहा था वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों द्वारा अथक प्रयास मैनुअल इन्टेलीजेन्स, लोकल इनपुट, गोपनीया सूचना, सर्विलांस की मदद से चेकिंग के दौरान हापुड़ तिराहे की तरफ से दो वाहन पर सवार पर 04 अभियुक्तगण 1-सोनू उर्फ मोसीन, 2-आरिफ, 3- समीर, 4- गुड्डू उर्फ सलमानी को विजय नगर कट से गिरफ्तार किया गया उनका एक साथी आसिफ को सांई उपवन के पास से पुलिस मुठभेड मे गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त से 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। 05 अभियुक्तगणो की निशादेही व कब्जे से 41 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी व 04 मोटर साइकिल व 03 स्कूटी बरामद हुई है। जो विभिन्न थाने की घटनाओ से सम्बन्धित है।

नाम पता अभियुक्त

1- सोनू उर्फ मोसीन पुत्र फकरुद्दीन निवासी म0न0- 1785 गली न0- 02 इस्लाम नगर थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष
2- आरिफ पुत्र इकराम निवासी गली न0- 01 ईदगाह के पास इस्लाम नगर थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष
3- समीर पुत्र हारुन निवासी म0न0- 457 नई मस्जिद के पास चौकी कैला भट्टा के पीछे वाली गली थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष
4- गुड्डू उर्फ सलमानी पुत्र इलियास निवासी म0न0- 1799 गली न0- 02 इस्लाम नगर कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष
5- आसिफ पुत्र जफरु निवासी- डाक्टरनी वाली गली हिण्डन बिहार हज हाउस थाना नन्दग्राम मूल पता- ग्राम सरवट थाना सिविल लाईन जनपद मुजफ्फरनगर उम्र 23 वर्ष
6- मुकीम पुत्र मौबीन निवासी संजय कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष

पूछताछ अभियुक्तगण

पूछताछ पर अभियुक्तगण समीर, गुड्डू उर्फ सलमानी, सोनू उर्फ मोसीन व आरिफ ने एक स्वर मे बताया की हम सब मिलकर एनसीआर क्षेत्र मे स्कूटी व मोटर साइकिल की चोरी कर इन वाहनो से जगह जगह मोबाइल फोन , चैन लूटने की घटना करते है तथा भीड भाड इलाके व मैट्रो स्टेशन पर मोबाइल फोन चोरी करते है । अभियुक्तगणो ने पूछताछ पर बताया कि वह थाना कोतवाली नगर, विजय नगर, सिहानी गेट, नन्दग्राम, कविनगर, मधुबन बापूधाम, साहिबाबाद, इन्द्रापुरम, कौशाम्बी व अन्य थाना क्षेत्र मे बुजुर्ग महिला व सीधा साधे व्यक्ति को अपना शिकार बनाकर उनसे चैन, मोबाइल फोन लूटने व चोरी की घटना करते है चैन, मोबाइल फोन व वाहनो को राहगीर व दुकानो पर बैचकर उन रुपयो के हम लोग अपनी मोच मस्ती मे खर्चा कर देते हैँ। जिससे हम लोग अपना शौक पूरा करते है। अभियुक्तगण ने थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की 01 वाहन चोरी व 01 मोबाइल चोरी, 02 मोबाइल लूट की घटना व जनपद के अन्य थाना से कुल 08 लूट व चोरी की घटनाओ को किया जाना स्वीकार किया है। बरामद मोबाइल फोन के IMEI नम्बर रन कराकर उनके स्वामियो की पहचान कर यथा शीघ्र वितरण किये जायेगें। सम्बन्धित थानो को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया गया है।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण:- सोनू उर्फ मोहसीन

1. अभियुक्त सोनू उर्फ मोहसीन उपरोक्त के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद मे 04 अभियोग चोरी व 01 अभियोग गैंगस्टर एक्ट कुल 05 अभियोग पंजीकृत।
2. अभियुक्त आरिफ उपरोक्त के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद मे 03 अभियोग चोरी व 01 अभियोग गैंगस्टर एक्ट, 01 अभियोग आर्म्स एक्ट का कुल 05 अभियोग पंजीकृत।
3. अभियुक्त समीर उपरोक्त के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद मे 02 अभियोग लूट, 04 अभियोग चोरी/बरामदगी व 01 अभियोग गैंगस्टर एक्ट, 01 अभियोग आर्म्स एक्ट का कुल 08 अभियोग पंजीकृत।
4. अभियुक्त गुड्डू उपरोक्त के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद मे 02 अभियोग चोरी व 01 अभियोग गैंगस्टर एक्ट, 01 अभियोग आर्म्स एक्ट का कुल 04 अभियोग पंजीकृत।
5. अभियुक्त आसिफ उपरोक्त के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद मे 04 अभियोग लूट 03 अभियोग चोरी/बरामदगी, 01 अभियोग गैंगस्टर एक्ट, 03 अभियोग आर्म्स एक्ट, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर मे 01 अभियोग हत्या का प्रयास का 01 अभियोग आर्म्स एक्ट का कुल 13 अभियोग पंजीकृत।
6. अभियुक्त मुकीम उपोरक्त के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद मे 04 अभियोग चोरी/बरामदगी, 01 अभियोग गैंगस्टर एक्ट, 01 अभियोग लूट , 01 अभियोग आर्म्स एक्ट, 01 अभियोग एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पुलिस मुठभेड/आर्म्स एक्ट का कुल 09 अभियोग पंजीकृत।

बरामदगी-

1- 13000/- रुपये घटनाओ से सम्बन्धित
2- तंमचा- 02, जिन्दा कारतूस-02, खोखा कारतूस-02
3- मोबाइल फोन-41
4- मोटरसाइकिल -04
5- स्कूटी-03

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 05 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, स्कूटी, ऑटो सीएनजी, चोरी की मोटरसाइकिलों के भिन्न-भिन्न मार्का के 26 चैसिस, मोटरसाइकिलों के अन्य पार्ट्स, 02 मास्टर चाबी व मोटरसाकिल खोलने के औजार बरामद ।

दिनांक 25.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 05 शातिर वाहन चोर 1. हिमांशु वर्मा पुत्र संजय वर्मा हाल निवासी ग्राम दौलतनगर, सलीम की परचून की दुकान के पास थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद 2. रजीम पुत्र मौ0 आसिम हाल निवासी ग्राम दौलतनगर, सलीम की परचून की दुकान के सामने थाना ट्रोनिका

सिटी गाजियाबाद 3. इरशाद पुत्र इमामुद्दीन निवासी 100 फुटा रोड 02 नंबर आर्य नगर लोनी गाजियाबाद 4. बिलाल पुत्र हामिद निवासी मौ0 इकराम नगर पारसी लाल स्कूल के सामने लोनी गाजियाबाद 5.समद पुत्र अली शेर निवासी चमन पार्क गली नंबर 03 मुस्तफाबाद दिल्ली को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल, 01 स्कूटी, 01 ऑटो सीएनजी, चोरी की मोटरसाइकिलों के भिन्न-भिन्न मार्का के 26 चैसिस, मोटरसाइकिलों के अन्य पार्ट्स, 02 मास्टर चाबी व मोटरसाकिल खोलने के औजार बरामद हुये। अग्रमि वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम आपस में एक दूसरे को काफी दिनों से जानते हैं हम पहले मोटरसाइकिल से घूमकर रैकी करते हैं तथा सही मौका पाकर मोटरसाइकिल, स्कूटी, ऑटो आदि वाहनों की चोरी कर लेते हैं हम अधिकांशत: फैक्ट्री एरिया व घनी आबादी के आसपास के क्षेत्रों से वाहनों की चोरी करते हैं जिनको ले जाकर हम आवास विकास क्षेत्र में घनी झाड़ियों में छिपा देते हैं और मौका देखकर हम वाहनों के पार्ट्स व इंजन आदि को अपने साथियों की मदद से खोलकर राह चलते लोगों एवं दिल्ली कबाडी बाजार में बेचकर रूपयों को आपस में बांट लेते हैं और मौज मस्ती करते हैं। ये जो मोटरसाइकिल व स्कूटी हमसे बरामद हुई हैं वो हमने 02 दिन पहले थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से चोरी की थी तथा अन्य मोटरसाइकिलें व सीएनजी आटो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से काफी समय से चोरी करके इकठ्ठा कर रखा था और उनके हिस्से-पुर्जे धीरे-धीरे निकालकर थोडा-थोड़ा करके मौका पाकर बेच रहे थे। आज भी वाहनों के पुर्जों को बेचने जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. हिमांशु वर्मा पुत्र संजय वर्मा हाल निवासी ग्राम दौलतनगर, सलीम की परचून की दुकान के पास थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद , उम्र करीब 24 वर्ष।
2. रजीम पुत्र मौ0 आसिम हाल निवासी ग्राम दौलतनगर, सलीम की परचून की दुकान के सामने थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 40 वर्ष।
3. इरशाद पुत्र इमामुद्दीन निवासी 100 फुटा रोड 02 नंबर आर्य नगर लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 41 वर्ष।
4. बिलाल पुत्र हामिद निवासी मौ0 इकराम नगर पारसी लाल स्कूल के सामने लोनी गाजियाबाद उम्र करीब करीब 22 वर्ष।
5.समद पुत्र अली शेर निवासी चमन पार्क गली नंबर 03 मुस्तफाबाद दिल्ली, उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर वाहन चोरी व बरामदगी के सम्बन्ध में कुल 11 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटरसाइकिल, 01 स्कूटी, 01 ऑटो सीएनजी, चोरी की मोटरसाइकिलों के भिन्न-भिन्न मार्का के 26 चैसिस, मोटरसाइकिलों के अन्य पार्ट्स, 02 मास्टर चाबी व मोटरसाकिल खोलने के औजार बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा मोबाइल फोन छीनैती की घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त व मोबाइल फोन खरीदने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 1200/-रुपये व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 26.10.2024 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर मोबाइल फोन छीनैती व चोरी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1.दीपक उर्फ नौनू पुत्र श्री जय करण निवासी म0न0 15, गली न0 15 सेवाधाम कृष्णा विहार लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष, 2.बोबी अग्रवाल पुत्र श्री

विजय प्रकाश अग्रवाल निवासी हाल किरायेदार अनिल की परचून की दुकान में गली न0 2. कृष्णा विहार सेवाधाम थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को भौपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गय। जिनके कब्जे से 01 मोबाइल फोन, 1200/-रुपये व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त दीपक उर्फ नौनू व बोबी ने बताया कि हम दोनों मिलकर छीनैती के मोबाइल फोन को अपने साथी सूरज वर्मा पुत्र अनिल प्रसाद वर्मा निवासी म0न0 49 गली नं0 01, कृष्णा विहार सेकण्ड सेवाधाम थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को बेच देते है।

अभियुक्त सूरज वर्मा की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया मुखबिर खास की सूचना के आधार पर अभियुक्त सूरज वर्मा पुत्र अनिल प्रसाद वर्मा निवासी म0न0 49 गली न0 01, कृष्णा विहार सेकण्ड सेवाधाम थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को कोयल एंकलेव मैट्रो प्रोजेक्ट वाली बिल्डिंग के सामने से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से भिन्न-भिन्न कम्पनी के 13 मोबाइल बरामद हुए। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से बारी-बारी से पूछताछ करने पर बताया कि दीपक व बोबी उपरोक्त ने बताया कि हम दोनो मोज मस्ती व अपने खर्च चलाने के लिये अपने जानने वालो की मोटर साइकिल बदल बदल कर मांगकर रास्ते में हाथ में लेकर चलने वाले लोगो से छीनकर ले जाते है व छीने हुये मोबाइल फोन को अपने साथी सूरज वर्मा उपरोक्त को सस्ते दामों पर बेच देते थे। अभियुक्त सूरज वर्मा उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै दीपक उर्फ नौनू व बोबी से छिनैती के मोबाइल फोन सस्ते दामों मे खरीदकर लोक खुलवाकर व मोबाइल के पार्टस को अलग- अलग करके बेच देता हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. दीपक उर्फ नौनू पुत्र श्री जय करण निवासी म0न0 15, गली न0 15 सेवाधाम कृष्णा विहार थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।
2. बोबी अग्रवाल पुत्र श्री विजय प्रकाश अग्रवाल निवासी हाल किरायेदार अनिल की परचून की दुकान में गली न0 2 कृष्णा विहार सेवाधाम थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।
3. सूरज वर्मा पुत्र अनिल प्रसाद वर्मा निवासी म0न0 49 गली न0 01, कृष्णा विहार सेकण्ड सेवाधाम थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण

- कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 1200/-रुपये व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास:

- गिरफ्तार अभियुक्त दीपक उर्फ नौनू के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर आर्म एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

- थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अवैध आतिशबाजी पटाखों का विक्रय करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे बरामद।

दिनांक 25.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध अतिशबाजी पटाखों का विक्रय करने वाला अभियुक्त राजू जैन पुत्र सुभाष चन्द जैन निवासी E-163 नन्दा कालोनी रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद को चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखों के 04 प्लास्टिक के कट्टा बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण -</u>

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अधिक लाभ कमाने के लिए इन पटाखों को बेचने के लिए रख रखा था कि पुलिस चेकिंग में पकड गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-</u>

राजू जैन पुत्र सुभाष चन्द जैन निवासी E-163 नन्दा कालोनी रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 42 वर्ष।

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -</u>

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

अवैध मिश्रित आतिश बाजी पटाखों के 04 प्लास्टिक के कट्टा बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।